



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 743 वर्ष 2026

निकिता शर्मा
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	राजेश कुमार मिश्रा
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता	:	सीएससी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान रिट याचिका वापस लेने की मांग की है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी संख्या 2 को दिनांक 05.01.2025 को उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल सिविल पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए जारी अधिसूचना में स्वतंत्रता सेनानी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट प्रदान करने का आदेश दिया जाए; ख) प्रतिवादी संख्या 2 को उत्तर प्रदेश पुलिस-2025 में कांस्टेबल सिविल पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के चयन में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षित रिक्ति के विरुद्ध याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करने का आदेश दिया जाए; ग) मामले की परिस्थितियों में माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले कोई अन्य आदेश; घ) याचिकाकर्ता की याचिका का खर्च याचिकाकर्ता को प्रदान किया जाए और उसे बेहतर विवरणों के साथ नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी जाए।
2. माननीय स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वर्तमान याचिका को वापस ले लिया गया मानकर खारिज किया जाता है।

फरवरी, 2026
राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

4

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"